प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 25.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 25.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 25.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत छात्र-छात्राओं एवं महिलाओं को किया गया जागरूक...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में *महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा* सम्मान हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज दिनांक- 25.09.2025 को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसी क्रम में जनपद के अन्य थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया और शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं महिला सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पम्पलेट वितरित कर हेल्पलाइन नम्बरों का प्रचार-प्रसार किया गया। जिसमें क्रमशः

थाना कोतवाली नगर महोबा – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना कबरई – कस्बा कबरई में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में
थाना खन्ना- विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना चरखारी – कस्बा चरखारी में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में
थाना खरेला – कस्बा खरेला के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में
थाना श्रीनगर – कस्बा श्रीनगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में
थाना पनवाड़ी – थाना पनवाड़ी के कस्बा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में
थाना महोबकंठ – कस्बा महोबकंठ के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में
थाना कुलपहाड़ – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना अजनर – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
महिला थाना – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में

इस दौरान महिलाओं बालिकाओं से वार्ता कर परस्पर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें उनके अधिकारों से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधानों, *गुड टच-बैड टच*, *साइबर अपराध* से बचाव एवं विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:-

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा, **1076 –** मा० मुख्यमंत्री हेल्प लाइन
1090 – विमेन पावर हेल्पलाइन, **1930 –** साइबर अपराध हेल्पलाइन **102 –** स्वास्थ्य सेवा,
108 – एम्बुलेंस सेवा **1098 –** चाइल्ड हेल्पलाइन, **181 –** महिला हेल्पलाइन

इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं एवं विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और हर परिस्थिति में उन्हें त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 24.09.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत मिशन शक्ति टीमों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर चलाया गया जन-जागरूकता कार्यक्रम।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज 5.0 के अंतर्गत, महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज दिनांक 25.09.2025 को जनपद के समस्त थानों पर गठित मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो स्क्वॉड द्वारा थाना क्षेत्र में स्थापित दुर्गा पण्डालों में भ्रमण कर महिलाओं एवं बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

इस दौरान महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं – मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेन्टर, 181 महिला हेल्पलाइन, पति मृत्युपरांत निराश्रित महिला योजना, प्रदेश में स्थापित महिला शरणालय, शक्ति सदन व सखी निवास योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

साथ ही, महिलाओं एवं बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले प्रमुख कानूनों – घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013; दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (संशोधित 1986); तथा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देकर आमजन को जागरूक किया गया।

साइबर हेल्प डेस्क थाना चरखारी की पुलिस टीम द्वारा गुम हुआ मोबाइल खोजकर पीड़ित को किया गया सुपुर्द।

"महोबा पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क निरंतर सक्रिय"

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपद स्तर पर गठित साइबर हेल्प डेस्क द्वारा निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 25.09.2025 को साइबर हेल्प डेस्क थाना चरखारी की टीम द्वारा शिकायतकर्ता बृजकिशोर पटैरिया पुत्र लखनलाल निवासी मलहरा छतरपुर म0प्र0 का realme 13 pro plus मोबाइल फोन, जो कही गुम हो गया था, तकनीकी प्रयासों से बरामद कर आज सकुशल उनके सुपुर्द किया गया, इस अवसर पर पीड़ित द्वारा महोबा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

साइबर हेल्पडेस्क टीम-

1. उ0नि0 विशाल वाजपेयी थाना चरखारी जनपद महोबा
2. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ए विकास सिंह वर्मा थाना चरखारी जनपद महोबा
3. कां0 महादेव थाना चरखारी जनपद महोबा

साइबर हेल्प डेस्क से संबंधित जनहित अपील-

यदि किसी नागरिक का मोबाइल गुम/चोरी हो जाता है या साइबर धोखाधड़ी का शिकार होता है तो वह तत्काल नजदीकी थाना, साइबर हेल्प डेस्क अथवा टोल-फ्री नंबर 1930 पर संपर्क करें। समय पर सूचना देने से पुलिस को त्वरित कार्रवाई में सहयोग मिलता है और बरामदगी/निवारण की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें एवं व्यक्तिगत अथवा बैंक संबंधी जानकारी अजनबियों से साझा न करें।

डीआईजी महोदय द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को लेकर जनपद महोबा में आयोजित की गयी गोष्ठी।

आज दिनांक 25.09.2025 को पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा, श्री राजेश एस. द्वारा पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह की उपस्थिति में पुलिस लाइन महोबा में प्रचलित मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गयी।

गोष्ठी में जनपद में स्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों पर नियुक्त समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान मिशन शक्ति केन्द्रों के प्रभावी संचालन, वहां नियुक्त कर्मियों की कार्यप्रणाली एवं उत्तरदायित्वों पर विशेष बल दिया गया।

☞ गोष्ठी के प्रमुख बिन्दु :

- महिलाओं एवं बालिकाओं से सम्बन्धित साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ठगी एवं अपराधों के त्वरित एवं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये गये।
- जनपद में गठित एण्टी रोमियो स्क्वॉड टीमों को बालिकाओं के विद्यालयों, छात्रावासों, महाविद्यालयों, बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थलों पर सक्रिय रुप से लगाकर नियमित निगरानी करने हेतु निर्देशित किया गया।
- एण्टी रोमियो टीमों की कार्यदक्षता की समय-समय पर राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जांच/मॉनिटरिंग की जायेगी।
- नवरात्रि, दुर्गा प्रतिमा पण्डालों, रामलीला मंचन एवं अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान महिला सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन को सुदृढ़ बनाने हेतु विशेष पैदल गश्त व सतर्कता की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- मिशन शक्ति केन्द्रों पर आने वाली प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निस्तारण किया जाये एवं पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को आवश्यक कानूनी/मानसिक परामर्श एवं सहयोग प्रदान किया जाये।
- महिला हेल्पलाइन 1090, 112, 181 एवं अन्य आपातकालीन नम्बर की जानकारी जन-जन तक पहुँचाने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों को गति देने के निर्देश दिये गये।
- विद्यालयों/कॉलेजों में छात्राओं को स्वरक्षा प्रशिक्षण, कानूनी अधिकारों एवं साइबर जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित करने पर बल दिया गया।

इस अवसर पर पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा, श्री राजेश एस. ने कहा कि "महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना एवं उनमें आत्मविश्वास का संचार करना ही हमारा लक्ष्य है।"

थाना अजनर जनपद महोबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई : एनडीपीएस एक्ट में दो अभियुक्त गिरफ्तार, कुल 1.40 किलो नाजायज़ गांजा बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गौड़ के पर्यवेक्षण में जनपद महोबा पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा स्वापक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

आज दिनांक 24.09.2025 को थाना अजनर पुलिस टीमों ने दो अलग-अलग अभियोगों में कुल 01 किलो 405 ग्राम नाजायज़ गांजा बरामद कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

पहली कार्यवाही- थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नहर कोठी पुलिया, ग्राम अजनर से अभियुक्त अर्जुन सिंह पुत्र स्व0 लखनलाल राजपूत, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम परा रजौनी थाना महोबकंठ, जनपद महोबा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 650 ग्राम नाजायज़ गांजा बरामद किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना अजनर पर मु0अ0सं0 219/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली सम्बन्धित पुलिस टीम :

1.उ0नि0 आकाश मौर्या 2.उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी
3.का0 भरत सिंह 4.का0 नरेन्द्र बाबू

द्वितीय कार्यवाही- इसी क्रम में, मुखबिर की सूचना पर थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा खोई रोड पर निर्माणाधीन पावर प्लांट आरओ पुलिया के पास, ग्राम अजनर से अभियुक्त विपिन राजपूत पुत्र निरपत सिंह राजपूत, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम भड़यापुरा थाना हरपालपुर, जनपद छतरपुर (म0प्र0) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 755 ग्राम नाजायज़ गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना अजनर पर मु0अ0सं0 220/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली सम्बन्धित पुलिस टीम :-

1.व0उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह
2.उ0नि0 सत्यप्रकाश 3.का0 सौरभ सिंह

महोबा पुलिस का संकल्प है कि नशे के अवैध कारोबार एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी।

महोबा पुलिस

◈ मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत "परिवार परामर्श केन्द्र" कमेटी के सदस्यों ने 01 परिवार को बिखरने से बचाया, परिवार में लौटी खुशियां-

📌 संवाद है समाधान – परिवार बने सम्मान।"

आज दिनांकः- 25.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन पर पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में "परिवार परामर्श केन्द्र" कार्यक्रम का आयोजन महिला थाना की अध्यक्षता में समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें पति-पत्नी के 05 ऐसे जोड़े जिनके बीच पारस्परिक परिवारिक विवाद चल रहा था, उनकी काउंसिलिंग की गयी एवं उनके मध्य संबंधित समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के निदान हेतु काउंसिलिंग/परामर्श कर उनकी समस्याओं को सुलझाया गया जिसके परिणामस्वरुप पति-पत्नी का 01 जोड़ा आपस में एक साथ रहने के लिए राजी हुए हैं, शेष को अगली तिथि में बुलाया गया है, जनपद महोबा पुलिस एवं परिवार परामर्श केन्द्र के सदस्यों के द्वारा किये गये सफल प्रयासों की सभी के परिवारीजनों ने धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।

परिवार परामर्श के दौरान उ0नि0 गयास अहमद, म0कां0 रेखा देवी सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर क्रमशः श्री रामजी गुप्ता, श्री शिवकुमार गोस्वामी, श्री मो0 हनीफ व श्रीमती नेहा चंसौरिया आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

अवैध शस्त्र व जिंदा कारतूस की बरामदगी पर नामित अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप मा0 न्यायालय महोबा द्वारा अवैध शस्त्र व जिंदा कारतूस की बरामदगी पर थाना पनवाड़ी पर पंजीकृत अभियोग में परीक्षणोपरांत नामित अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

कृष्ण पाल सिंह
अभियोजन अधिकारी

विवरण निम्नवत है:-

थाना पनवाड़ी पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 1237/2010 व मु0अ0सं0 119/2012 धारा 25 आर्म्स एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त फूल सिंह पुत्र जौहरी राजपूत निवासी भरवारा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को जेल में बिताई गई अवधि व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

हे0कां. जयनारायण सिंह
पैरोकार थाना पनवाड़ी